267

कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक / एकलव्य / 2006–07/5002 रायपुर दिनांक 13/08/07

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला– सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर, रायगढ़,
जशपुर, कबीरधाम, कांकेर

विषय :– संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय भरती एवं पदोन्नति नियम की प्रति भेजने बावत्।

संदर्भ :– शासन का पत्र क0 / 319 / 2007 / 25–1 / आजावि, / 7421 रायपुर दिनांक 13.08.07।

––0––

विषयानुसार संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय भरती एवं पदोन्नति नियम की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

नियमानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

संचालक,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छ0ग0 रायपुर

पृ0कमांक / एकलव्य / 2006–07/5003 रायपुर दिनांक 13/08/07

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकस विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला – सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर, रायगढ़, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर की ओर सूचनार्थ।

संचालक,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छ0ग0 रायपुर

268

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
: : मंत्रालय : :
डी0के0एस0भवन, रायपुर

क्रमांक-319/2007/25-1/आजावि,/7421 रायपुर, दिनांक 13.8.2007

प्रति,

संचालक,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय भरती एवं पदोन्नति नियम जारी करने बाबत्।

संदर्भ :- आपका प्रस्ताव/पत्र क्रमांक/एकलव्य/2006-07/4269, दिनांक 28.07.2007.

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त एकलव्य आवासीय विद्यालय सेवा भरती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2007 के प्रारूप पर माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अतः एकलव्य आवासीय विद्यालय सेवा भरती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2007 जारी किया जाता है।

(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव
छ0ग0शासन
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0वि0

D.C.(V.)

13 AUG 2007

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2007 (छत्तीसगढ़)

प्रस्तावना :-

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्रदत्त राशि से एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित है। शिक्षा सत्र 2005-06 से उक्त 08 विद्यालयों को प्रारंभ किया गया है। इन विद्यालयों का संचालन एक ''राज्य स्तरीय छ0ग आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति'' द्वारा किया जा रहा है।

एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक कक्षाओं का अध्यापन किए जाने की योजना है। प्रत्येक कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकतम 60-60 विद्यार्थी हो सकते हैं।

नियम :-

छत्तीसगढ़ राज्य की ''राज्य स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति'' एतद् द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालयों की सेवा में भर्ती एवं पदोन्नति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती हैं :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2007'' होगा।

   (ii) यह नियम ''राज्य स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति'' के द्वारा अनुमोदित होने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. परिभाषाएं :-

   इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

   (i) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से तात्पर्य एकलव्य विद्यालयों के संचालन हेतु संबंधित जिले में जिला स्तर की पंजीकृत समिति से है।

   (ii) ''राज्य'' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य से है।

   (iii) ''शासन'' से तात्पर्य छ0ग0 शासन से है।

   (iv) ''अनुसूची'' से तात्पर्य नियमों में संलग्न अनुसूची है।

   (v) ''सेवा'' से तात्पर्य छ0ग0 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा से है।

   (vi) ''समिति'' से तात्पर्य ''जिला स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति'' से है।

13/8

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति –

छत्तीसगढ़ सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :–

सेवा का गठन उन व्यक्तियों से होगा जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में समय समय पर भरती किए जायेंगे तथा इन नियमो के अधीन भर्ती किये गये सभी कर्मचारी संबंधित जिलें की समिति के अंधीन कार्यरत कर्मचारी माने जायेगें।

5. वर्गीकरणं, वेतनमान एवं अन्य परिलब्धियां :–

सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए वेतनमान तथा इसमें शामिल पदों की संख्या अनुसूची एक में दिए गए उपबन्धों के अनुसार होगी किन्तु अन्य परिलब्धियां यथा– मेडिकल भत्ता; यात्रा भत्ता इत्यादि का नियमन "राज्य स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति" द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप होगा।

परन्तु समिति की अनुसंशा पर सेवा में शामिल पदों की संख्या में, समय–समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि अथवा कमी छ0ग0 राज्य स्तरीय आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संसथान समिति द्वारा तय की जायेगी।

6. भरती की विधि :–

1. इन नियमों के प्रभावशील होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाऐंगी, अर्थात्
   - (i) अनुसूची–दो में दर्शाये गए अनुसार सीधी भरती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
   - (ii) अनुसूची–तीन में दर्शाये गए अनुसार पदोन्नति द्वारा।
2. अनुसूची–एक एवं दो के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भर्ती के किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी, विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का प्रकार तथा प्रत्येक प्रकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले, व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी।
3. इन विद्यालयों में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत नियुक्ति होने तक संस्था

संचालन हेतु अस्थायी रूप से [illegible]
का दायित्व जिला स्तरीय समिति के सचिव का होगा ।

7. सेवा में नियुक्ति :-

इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में उल्लिखित भरती के किसी एक तरीके से करने के अतिरिक्त अन्य से नहीं की जायेगी।

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :-

उम्मीदवार के चयन के लिए पात्र होने हेतु उम्मीद्वारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिए अर्थात् :-

1. आयु :-

(i) चयन प्रकिया वर्ष के प्रथम छमाही मे प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व की पहली जनवरी को तथा चयन प्रकिया वर्ष के अंतिम छःमाही में प्रारम्भ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु अनुसूचित (दो) के कालम-4 एवं 5 में दर्शाये अनुसार हो।

(ii) राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक , विधवा/परित्यक्ता महिला उम्मीदवार एवं अन्य संवर्ग को नियुक्ति हेतु आयू सीमा में जो छूट प्रदान की गई है, उस छूट की पात्रता इन नियुक्तियों में भी होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :- अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होने चाहिए जो कि अनुसूची-दो में दर्शाइं गई है।

(3) मूल निवासी :- अभ्यर्थी को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

(9) अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में विनिश्चय :- चयन के संबंध में किसी भी उम्मीदवारों की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(10) सीधी भरती :-

1.चयन द्वारा :-

(क) अनुसूची एक में दर्शाए गए अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों पर सीधी भरती से अभ्यर्थी का चयन संबंधित विद्यालयों से प्राप्त रिक्तियों पर विचारोपरांत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

(ख) अनुसूची एक में दर्शाये गए अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों की सीधी भरती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची बनाकर चयन कार्यवाही

की जायेगी वशर्ते कि आवेदक अन्य वांछित योग्यताए अनिवार्य रूप से धारित करता हो।

(ग) न्यूनतम योग्यता के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची में, यदि दो अभ्यर्थी समान अंक धारण करते हो, तो अन्य वांछनीय योग्यताओं में से वरिष्ठ उपाधि धारक अथवा अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में, आरक्षित वर्ग से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए भरती के समय प्रभावशील शासन के आरक्षण निर्देशों/नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

(ड़) जहां सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए अनुभव की कुल अवधि विहित की गई है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में आरक्षित पदों पर जनजातियों के अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना संभव नहीं हो पा रहा हो, तब नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव के अवधि की शर्त को पूर्णतः शिथिल कर सकेगा अथवा कम कर सकेगा।

2. प्रतिनियुक्ति द्वारा – सीधी भरती/पदोन्नति के पद रिक्त रहने की स्थिति में पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से की जा सकेगी, जिसके लिए अर्हताएं अनुसूची दो अनुसार होगी।

11. चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः–

1. इन नियमों तथा छ0ग0 सिविल–सेवा–(सेवा की सामान्य शर्ते नियम–1961) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर चयन किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों।

1. चयन सूची प्रकाशन की तारीख से, सामान्यतः एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवृत रहेगी।
2. नियुक्ति आदेश के जारी किए जाने के पश्चात् जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट एवं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

12. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :–

1. पात्र अभ्यर्थियों के पदोन्नति के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–तीन में उल्लेखित सदस्य होंगे।
2. समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी।
3. आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए प्रक्रिया छ0ग0 शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुसार होगी।

13. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :-

1. समिति उन पदों पर पदोन्नति के लिए उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर जिनमें पदोन्नति की जाना है, उतने वर्ष की न्यूनतम सेवा, जितनी की अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट है, पूरी कर ली हो तथा जो उपनियम-2 के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हों।

2. चयन का क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के सामान्यतः तीन गुना तक सीमित रहेगा।

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी/कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तो क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा, जिस सीमा तक, समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझा जाए।

14. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :-

1. विभागीय समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो ऊपर नियम-14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराये गए हों, यह चयन सूची तैयार की गई तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त अनुसूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत की एक प्रतीक्षा सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जायेगी।

2. ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित ध्यान देते हुए योग्यता सह उपयुक्तता पर आधारित होगा।

स्पष्टीकरण :- ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हों, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

3. इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

4. यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित हो तो, समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

15. चयन सूची से सेवा में पदोन्नति :-

1. चयन सूची में सम्मिलित सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति सेवा संवर्ग में पदों पर उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

16. परिवीक्षा :-

सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

17. प्रशासकीय नियंत्रण :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्वीकृत अमले पर प्रशासकीय नियंत्रक जिला स्तरीय आवासीय विद्यालय समिति का होगा। इन विद्यालयों के अमले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शासकीय कर्मचारियों के लिए संधारित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 में निहित उपबंध/ प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा।

18. अधिवार्षिकी आयु :-

~~छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अधिवार्षिकी आयु मान्य होगी।~~

19. समूह बीमा योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप इस सेवा के कर्मचारियों पर भी समूह बीमा योजना लागू होगा।

20. अंशदायी भविष्य निधि योजना :-

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रावधान अनुसार होगा।

21. सेवा निवृत्ति लाभ (पेंशन) :-

इस नियम के अधीन नियुक्त/पदस्थ सेवा के कर्मचारियों को इसकी पात्रता नहीं होगी।

1310

22. निर्वचन :-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भव होता है, तो उसे राज्य स्तरीय समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

23. व्यावृत्ति :-

इन नियमों में की गई कोई बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए छ०ग० शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए गये आरक्षण संबंधी अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

24. नियमो में वर्णित उपबंधो मे परिवर्तन, संशोधन, निरसन का पूर्ण अधिकार ''राज्य स्तरीय छ०ग० राज्य, आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति'' को होगा।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छ०ग० रायपुर
एवं
पदेन सचिव,
''राज्य स्तरीय छ०ग० आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति''

अनुसूची–एक (नियम 4–(1) एवं 5 देखें)

छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सेवा के अमले का विवरण

क्र.	सेवा मे सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य	08	100	–	10000–325–15200
2.	उप प्राचार्य	08	100	–	8000–275–13500
3.	व्याख्याता पी.जी.टी.		75	25	6500–200–10500
	1. हिन्दी	08			—"—
	2. अंग्रेजी	08			—"—
	3. गणित	08			—"—
	4. रसायन	08			—"—
	5. भौतिक	08			—"—
	6. जीव विज्ञान	08			—"—
	7. अन्य वैकल्पिक विषय (जिनका अध्यापन शाला में प्रारंभ किया जाना हो।)	16			—"—
4.	शिक्षक टी.जी.टी.		100	–	5500–175–9000
	1. हिन्दी	16			—"—
	2. अंग्रेजी	16			—"—
	~~3. गणित~~	~~16~~			—"—
	4. विज्ञान	08			—"—
	5. सामाजिक अध्ययन	08			—"—
	6. संगीत	08			—"—
	7. कलाशिक्षक / काफ्ट शिक्षक	08			—"—
	8. शिक्षक (शारीरिक शिक्षा)	16			—"—
	9. ग्रन्थपाल	08			—"—
	10. सहायक छात्रावास अधीक्षक	08			—"—
5.	गैर शिक्षकीय कर्मचारी				
	1. कार्यालय अधीक्षक	08	–	100	5500–175–9000
	2. सहायक ग्रेड–2	08	–	100	4000–100–6000
	3. स्टॉफ नर्स	08	100		5000–150–8000
	4. स्टोर कीपर	08	100		3050–75–3950–80–4590
	5. सहायक ग्रेड–3	08	75	25	3050–75–3950–80–4590
	6. डाटा एण्ट्री आपरेटर	08	100	–	—"—
	7. रसोईयां	48 (प्रति संस्था 6 पद के मान से)	100	–	2550–50–2600–60–3200

277

2	3			4
1. विद्युत सहायक	08	100	—	2550—50—2600—60—3200
2. प्रयोगशाला परिचारक	16	100	—	2610—603150—65—3540
6. 3. चौकीदार	16	100	—	2550—5500—2600—60—3200
4. चौकीदार कम स्वीपर	16	100	—	—"—
5. भृत्य	16	100		—"—
6. माली	08	100		—"—

(मनोज कुमार पिंगुआ)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छ0ग0 रायपुर
एवं
पदेन सचिव,
"राज्य स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति"

13/10

9

अनुसूची–दो

(देखिए नियम–8 एवं 11)

क्रमांक	पदनाम	भर्ती का प्रकार	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक अर्हताएं / शर्तें
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती	23	50	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अन्य वांछित योग्यता :– 1. मान्यता प्राप्त वि0वि0 से बी0 एड या एम0 एड उपाधि 2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद पर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव
2.	उप प्राचार्य	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती	23	45	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– बी0एड0 उपाधि एवं हाईस्कूल के प्राचार्य पद का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव वरिष्ठ व्याख्याता वेतनमान में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अन्य वांछित योग्यता :– 1. मान्यता प्राप्त वि0वि0 से बी0 एड या एम0 एड उपाधि 2. हाई स्कूल के प्राचार्य पद अथवा वरिष्ठ व्याख्याता वेतन मान में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव
3.	व्याख्याता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पी.जी.टी.	सीधी भर्ती / पदोन्नति प्रतिनियुक्ति	23 वर्ष	35	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित विषय में व्याख्याता पद का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. मान्यता प्राप्त वि0वि0 से बी0 एड या एम0 एड उपाधि 2. व्याख्याता पद पर संबंधित विषय में व्याख्याता पद का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव
4.	शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टी.जी.टी.	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसे न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उपाधि अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. बी0 एड की उपाधि 2. उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर 03 वर्ष का अनुभव
5	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. व्यायाम अनुदेशक पद का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव

	2	3	4	5	6
	ग्रंथपाल	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ बी0लिब0 (बैचलर ऑफ लाईब्रेरी) अथवा समकक्ष उपाधि अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. पुस्तकालय सहायक के रूप में 03 वर्ष का कार्य अनुभव
7	सहायक छात्रावास अधीक्षक	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उपाधि अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. छात्रावास अधीक्षक के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव
	गैर शिक्षकीय कर्मचारी संवर्ग				
1.	कार्यालय अधीक्षक	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	–	–	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– सहायक ग्रेड–2 अथवा समकक्ष कार्यालयीन लिपकीय पद का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर का संचालन
2.	सहायक ग्रेड–2	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	–	–	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– सहायक ग्रेड–3 अथवा समकक्ष कार्यालयीन लिपकीय पद का न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
3.	सहायक ग्रेड–3	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– उच्चतर माध्यमिक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट गति से उत्तीर्ण 2. कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान संबंधी न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा उत्तीर्ण
4.	स्टोर कीपर	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– उच्चतर माध्यमिक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अन्य वाछंनीय योग्यता :– 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट गति से उत्तीर्ण 2. कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान संबंधी न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा उत्तीर्ण
5	डाटा एन्ट्री आपॅरेटर	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– उच्चतर माध्यमिक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अन्य वाछंनीय योग्यता :– किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग मे एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के साथ

1	2	3	4	5	6
6.	स्टाफ नर्स	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग डिप्लोमा अथवा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अन्य वांछनीय योग्यता :– 1.मान्यता प्राप्त नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन 2. स्टाफ नर्स के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव
7.	कुक (रसोईया)	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– पूर्व माध्यमिक स्तर की कक्षा (8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण अन्य वाछंनीय योग्यता :– निजी क्षेत्र के संचालित छात्रावास/भोजनालय/केन्टीन आदि में न्यूनतम 03 वर्ष से कार्यरत होने का प्रमाण पत्र
8.	विद्युतसहायक (इलेक्ट्रीशियन)	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन की पत्रोपाधि
9.	भृत्य	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– पूर्व माध्यमिक (8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण
~~11.~~	~~स्वीपर (सफाई कर्मी)~~	~~सीधी भर्ती~~	~~21 वर्ष~~	~~35 वर्ष~~	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– पूर्व माध्यमिक (8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण
11.	माली	सीधी भर्ती	21 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– पूर्व माध्यमिक (8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण अन्य वाछंनीय योग्यता :– माली के पद पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव

(मनोज कुमार पिंगुआ)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छ0ग0 रायपुर
एवं
पदेन सचिव,
"राज्य स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति"

अनुसूची –तीन
(देखिए नियम–13)

क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हों	सेवा की न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हों	विभागीय पदोन्नति समिति
1	2	3	4	5
1	टी.जी.टी.	05 वर्ष	पी.जी.टी.	1. समिति के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि – अध्यक्ष 2. सहायक आयुक्त – सदस्य 4. संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रमुख – सदस्य/सचिव
2	सहायक ग्रेड–2 अथवा समकक्ष कार्यालयीन लिपिकीय पद	10 वर्ष	कार्यालय अधीक्षक	
3	सहायक ग्रेड–3 अथवा समकक्ष	05 वर्ष	सहायक ग्रेड–2	
4	भृत्य	05 वर्ष	कार्यालयीन लिपिकीय पद	

(मनोज कुमार पिंगुआ)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छ0ग0 रायपुर
एवं
पदेन सचिव,
"राज्य स्तरीय छ0ग0 आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति"

राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़, आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/एकलव्य/103/2009–10/ 5376 रायपुर, दिनांक 15/9/10
प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला:– सरगुजा, जगदलपुर, रायगढ़, कवीरधाम
कांकेर, जशपुर, दंतेवाड़ा

विषय:– एकलव्य आवासीय विद्यालय भर्ती एवं पदोन्नति नियम में प्रयोगशाला परिचायक पद की शैक्षणिक अर्हता/शर्त का निर्धारण बाबत्।

संदर्भ:– कार्यालयीन पत्र क./एकलव्य/2006–07/5002 रायपुर, दिनांक 13.8.2007

—"—

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय–रायपुर के पत्र क./319/2007/25–1/आजावि/ 7421 रायपुर, दिनांक 13.08.2007 के द्वारा अनुमोदित एकलव्य आवासीय विद्यालय हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2007 जारी किया गया था।

भर्ती नियम के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि टंकण त्रुटि के फलस्वरूप अनुसूची–1 में दर्शित पद प्रयोगशाला परिचायक की भर्ती हेतु अनुसूची–2 में शैक्षणिक अर्हता/शर्त का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप अनुसूची–2 गैर शिक्षिकीय कर्मचारी संवर्ग के बिन्दु क्रमांक–8 के नीचे प्रयोगशाला परिचायक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता/शर्त निम्नानुसार जोड़ी जाती है :–

क.	पदनाम	भर्ती का प्रकार	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	अर्हता/शर्त
1.	प्रयोगशाला परिचायक	सीधी/ प्रतिनियुक्ति	20 वर्ष	30 वर्ष	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:– विज्ञान विषय के साथ (10+2) पद्धति से हाईस्कूल प्रमाण पत्र या (विज्ञान विषय के साथ) हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण। अन्य वांछित योग्यता:– शि.क.वर्ग–3 के पद पर 03 वर्ष का कार्य अनुभव

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं
पदेन सचिव,
राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़, आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0 क्रमांक/एकलव्य/103/2009–10/ 5377 रायपुर, दिनांक 15/9/10
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान0मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय–रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय–रायपुर।
3. कलेक्टर, जिला– सरगुजा, जगदलपुर, रायगढ़, कवीरधाम, कांकेर, जशपुर, दंतेवाड़ा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पदेन सचिव,
राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़, आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
छत्तीसगढ़, रायपुर